रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72
REGISTERED No.D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 1979/पौष 12, 1900
No. 9] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 1979/PAUSA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1978

का. आ. 10(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ इकतीसवां संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961, की द्वितीय अनुसूची में, "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, "कार्मिक और प्रशासनिक सुधार, विभाग" उप-शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 22 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"22(क) मूल नियमों अनुपूरक नियमों और सिविल सेवा नियमों सहित सभी सेवा नियमों का (निम्नलिखित को छोड़ कर) प्रशासन :—

(1) कर्मचारियों के वेतन ढांचे के पुनरीक्षणों से सम्बन्धित प्रस्ताव ;

(2) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षणों के लिए प्रस्ताव ;

(3) वेतन आयोग की नियुक्ति, सिफारिशों का प्रसंस्करण और उनका कार्यान्वयन ,

(4) महंगाई भत्ता और अन्य प्रतिपूरक भत्ते और यात्रा भत्ते ;

(5) पेंशन ढांचा और पेंशनभोगियों को सहायता ,

(6) सेवा भर्ती अथवा महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थों वाले अनुषंगी हितलाभों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को कोई नई सुविधा ;

(7) प्रमुखतः वित्तीय प्रकृति के सेवा नियमों में संशोधनों से सम्बन्धित मामले।

(ख) सेवा शर्तों और महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थों वाले अनुषंगी हितलाभों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को नई सुविधा के लिए प्रस्तावों का उपक्रमक।

(ग) खण्ड (क) की मद (7) में उल्लिखित प्रमुखतः वित्तीय प्रकृति के सेवा नियमों सहित सेवा नियमों में संशोधनों से संबंधित मामलों में भारत सरकार के औपचारिक आदेश जारी करना।

(घ) दीर्घावधि वित्तीय निहितार्थों वाले किन्हीं भी सेवा नियमों का वित्त मंत्रालय के परामर्श से शिथिलन और उदारीकरण ।"

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति,

[सं. 74/2/78-सी. एफ.]

के. सहगल, संयुक्त सचिव,

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1978

S. O. 10(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and thirty-first Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)" under the sub-heading "DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (KARMIK AUR PRASHASANIK SUDHAR VIBHAG)", after entry 22, the following entry shall be inserted, namely :—

"22A (a) The administration of all service rules including F. Rs, S. Rs and C. S. Rs except—

(i) proposals relating to revisions of pay structure of employees ;

(ii) proposals for revisions of pay scales of Central Government employees ;

(iii) appointment of Pay Commission, processing of the recommendations and implementation thereof ;

(iv) dearness allowance and other compensatory allowances and travelling allowances ;

(v) pension structure and relief to pensioners ;

(vi) any new facility to Government employees by way of service conditions or fringe benefits which involve significant financial implications ;

(vii) matters relating to amendments to service rules having a predominantly financial character.

(b) initiation of proposals for new facility to Government employees by way of service conditions and fringe benefits involving significant recurring financial implications.

(c) issue of formal orders of the Government of India in matters relating to amendments to service rules including those having a predominantly financial character referred to in item (vii) of clause (a).

(d) relaxation and liberalisation of any service rules having a long-term financial implications in consultation with the Ministry of Finance."

N. SANJIVA REDDY, President.

[No. 74/2/1/78-CF]

K. SAIGAL, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979